



न्यायालय भू राजस्व मण्डल जिला ग्वालियर म.प्र.

प्र क. /2014 रिवीजन R - 2145- III 114

Sumant Mishra  
Adv.

Sumant  
17-7-14

रघुबर पुत्र रतना लोधी

निवासी- ग्राम अमोलपठा तहसील

करैरा जिला शिवपुरी.....रिवीजनिस्ट

विरुद्ध

रमेश पुत्र मन्नूराम जाटव

निवासी ग्राम अमोल पठा तहसील

करैरा जिला शिवपुरी .....रेस्पोजेन्ट

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश  
दिनांक 10.04.2014 जो कि प्रकरण क. 114/2012-13 अपील

Sumant  
17-7-14

16/7/15

आवेदक के विद्वान अमिताभ मु. पखेंज  
द्वारा प्रस्तुत शहयता के तर्कों पर विचार किया  
गया। यह प्रमाण इस न्यायालय में प्रचलन  
योग्य न होने से सक्षम न्यायालय में प्रेषण  
करने हेतु वापस किया जाये।

To be  
returned

अमिताभ  
मु. पखेंज

अदिवश